उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या- 48/2015/682/41-2015-70 सा0/15

लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015

शुद्धि-ज्ञाप

चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में हुसैनाबाद लखनऊ में कार ट्रेन के संचालन हेतु प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने हेतु रू0 50.00 लाख की धनराशि में से रू0 2,24,720/- (रूपया दो लाख चौबीस हजार सात सौ बीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 27/2015/290/41-2015-70 सा0/15, दिनांक 26.02.2015 द्वारा निर्गत की गयी।

2- शासनादेश सं0 27/2015/290/41-2015-70 सा0/15, दिनांक 26.02.2015 में त्रुटिवश कारट्रेन के स्थान पर कारटेन अंकित हो गया है तथा उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 की दूसरी पंक्ति में लेखाशीर्षक-3452-पर्यटन- के पश्चात आयोजनागत शब्द अंकित नही हो पाया है।

3- अतः शासनादेश सं0 27/2015/290/41-2015-70 सा0/15, दिनांक 26.02.2015 में कारटेन के स्थान पर कारट्रेन एवं उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3 के दूसरी पंक्ति में लेखाशीर्षक-3452-पर्यटन-के पश्चात आयोजनागत शब्द जोड. कर पढा जाय। सम्बन्धित शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते व उपबन्ध यथावत रहेंगे।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(श्याम मोहन तिवारी)

अनु सचिव।

संख्या-48 /2015/682(1)/41-2015 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।

2- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7

6- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।

7- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)

अनु सचिव।

यू0ओ0

http://shasanadesh.up.nic.in